

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक: अ-2-3/यूडी /पदो/स्था./404-14/2715

भोपाल दिनांक 25/6/14

:: आदेश ::

निम्नलिखित कृषि विकास अधिकारियों को अस्थायी रूप से अन्य आगामी आदेश तक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 (पुनरीक्षित वेतन बैंड रूपये 9300-34800 रूपये 3600 ग्रेड पे) में निम्नलिखित शर्तों पर पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है :-

- 1 यदि यह पाया गया है कि पदोन्नत किये गये कर्मचारी से वरिष्ठ कोई कर्मचारी किसी कारणवश पदोन्नत नहीं हो पाया है, तो नियमानुसार वरिष्ठता निर्धारण कर कनिष्ठ व्यक्ति को पदावनत किया जा सकता है।
- 2 जिस जिले/संभाग में इस आदेश से प्रभावित कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है, उस संभाग/जिले के संयुक्त संचालक कृषि/उप संचालक कृषि को यह देखना होगा कि कर्मचारी के विरुद्ध कोई निलंबन/अभियोजन प्रताड़ना अथवा विभागीय जांच लंबित तो नहीं है। यदि किसी प्रकरण में विभागीय जांच लंबित हो या विभागीय जांच का निर्णय जिसमें पदोन्नति प्रभावित होती है तो यह पदोन्नति निरस्त मानकर यह आदेश वितरित नहीं किया जावे तथा संबंधित व्यक्ति का आदेश संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र.भोपाल को मूलतः वापस करे। विभागीय जांच के निर्णय या दण्ड अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रकरण पर पुनर्विचार किया जावेगा।
- 3 पदोन्नत कर्मचारी उस जिले/संभाग में कार्यरत नहीं है, जहां की आदेश में दर्शाया गया है तो आदेश को उस संभाग/जिले के संयुक्त संचालक कृषि/उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को भेजा जावे, जहां वह कार्यरत है।
- 4 पदोन्नत कर्मचारी का विवरण का मिलान उसके व्यक्तिगत अभिलेखों से मिलान करने के उपरान्त ही आदेश वितरित किये जावे तथा विवरण में अंतर हो तो संबंधित को आदेश वितरित न करते हुये संचालनालय को विवरण सहित वापिस लौटावे।
- 5 यदि कोई कृषि विकास अधिकारी पूर्व में पदोन्नत हो चुका हो/मृत्यु हुई हो/त्याग-पत्र दिया गया हो/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गया हो तो उसके संबंध में पूर्ण जानकारी सहित आदेश मूलतः वापस लौटावे।
- 5 इस पदोन्नति आदेश के जारी होने के दिनांक से 1 माह के अंदर अपने पदोन्नति स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश ऐसी स्थिति में निष्प्रभावी माना जावेगा।
- 6 जिस कार्यालय के अधीन पदोन्नत कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करेगा, वहां के कार्यालय उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शीघ्र संचालनालय को अवगत करावेगा।


ado-sado adesh



- 7 जिन कृषि विकास अधिकारियों की पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना उप संचालक कृषि के अधीन की गई है, उनमें से गैर कृषि स्नातक कृषि विकास अधिकारियों को विकास खंड, कार्यालय उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कार्यालय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, कार्यालय मिट्टी परीक्षण/मृदा सर्वेक्षण प्रयोगशाला तथा प्रक्षेत्र में पदस्थ न किया जावे ।
- 8 प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा निम्नानुसार पदोन्नतियों में मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अनिनियम-1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा- 6 की उपधारा-1 के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।
- 9 पदोन्नति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रस्तुत किया जावेगा । एक माह पश्चात दिया गया विकल्प मान्य नहीं होगा ।
- 10 जिन कर्मचारियों को उप संचालक कृषि के अधीन पदस्थ किया गया है, वे उनकी गृह विकास खण्ड / गृह तहसील छोड़कर पदस्थापना आदेश जारी करेंगे ।

स. क	वरि. 1.4. 13	कर्मचारी / अधिकारी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	जाति	जन्म तिथि	गृह जिला	वर्तमान पद स्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	85	श्रीमती प्रतिभा तिवारी	एम.एस.सी. बाटनी	सामान्य	29.12.68	बाड़ी बरेली रायसेन	छिंदवाड़ा	उप संचा, छिंदवाड़ा के अधीन
2	86	कु. रीना अवस्थी	एम.एस.सी.	सामान्य	25.06.70	छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	उप संचा, छिंदवाड़ा के अधीन
3	89	श्रीमती पूनम राजे	कृषि स्नातक	पि.वर्ग	05.07.72	ग्वालियर ग्वालियर	ग्वालियर	बीज परी. प्र. मुरैना
4	139	श्री एस.एन.एस. भदौरिया	कृषि स्नातक	सामान्य	15.08.54	भिण्ड भिण्ड	भिण्ड	उप संचा, मुरैना के अधीन
5	146	श्री सी.के.त्रिपाठी	बी.ए.	सामान्य	25.06.54	रामपुर बघेलान सतना	सतना	उप संचा. सतन के अधीन
6	149	श्री हनुमंत सिंह सोलंकी	बी.ए.	सामान्य	06.06.54	छतरपुर छतरपुर	टीकमगढ़	उप संचा, टीकमगढ़ के अधीन
7	151	श्री लक्ष्मी नारायण दांगी	हा.से	सामान्य	14.12.54	टीकमगढ़ टीकमगढ़	टीकमगढ़	उप संचा, टीकमगढ़ के अधीन
8	155	श्री रामजी शुक्ला	हा.से	सामान्य	10.07.56	नागौद सतना	सतना	सं.सं.कृ. रीवा के अधीन


ado-sado adesh



स. क	वरि. 1.4. 13	कर्मचारी / अधिकारी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	जाति	उ न्म तिथि	गृह जिला	वर्तमान पद स्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	169	श्री महेन्द्र सिंह यादव	कृषि स्नातक	सामान्य	04.08.54	भिण्ड भिण्ड	दतिया	उप संचा. भिण्ड के अधीन
10	177	श्री रमाकांत सिंह बघेल	हा.से	सामान्य	13.07.54	अमरपाटन सतना	सतना	उप संचा. रीवा के अधीन
11	182	श्री एस.के.तिवारी	हा.से	सामान्य	11.11.55	नौगांव छतरपुर	छतरपुर	उप संचा. छतरपुर के अधीन
12	187	श्री एस.पी. मिश्रा	हा.से	सामान्य	01.04.55	सोहावल / रघुराजनगर सतना	सतना	उप संचा. कटनी के अधीन
13	199	श्री जे.एस.नरवरिया	हा.से	पि.वर्ग	06.12.55	गोहद भिण्ड	भिण्ड	उप संचा. सागर के अधीन
14	200	श्री उमाशंकर वर्मा	हा.से	सामान्य	01.09.56	बड़वाह खरगौन	खरगौन	उप संचा. खरगौन के अधीन
15	201	श्री बी.एस.यादव	हा.से	सामान्य	11.12.55	रौन मिहोना भिण्ड	सिंगरौली	उप संचा. सिंगरौली के अधीन
16	215	श्री एस.एस.वालरे	हा.से	अ.ज.जा	01.05.61	डिण्डोरी डिण्डोरी	मंडला	उप संचा. बालाघाट के अधीन
17	222	श्री एस.सी. नेताम	हा.से	अ.ज.जा	02.03.59	सिवनी सिवनी	छिंदवाड़ा	उप संचा. छिंदवाड़ा के अधीन

इन पदोन्नति कर्मचारियों से कोई कनिष्ठ कृषि विकास अधिकारी यदि पूर्व आदेश क्रमांक अ-2-3/यू.डी./पदो/स्था/404-14/2190-91, दिनांक 31.05.2014 से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों के पद पर पदोन्नत हो गये हो, तो इस आदेश के अन्तर्गत पदोन्नत कृषि विकास अधिकारी की वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संवर्ग में उन कनिष्ठ कर्मचारियों के ऊपर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की स्थिति दर्शाने वाली वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठता दी जावेगी।




संचालक


किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक: अ-2-3/यूडी /पदो/स्था./404-14/2716

भोपाल दिनांक 22/6/14

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशेष सहायक, मा.मंत्री, म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल की एकल नस्ती टीप क्रमांक 281, दिनांक 23.6.14 के सन्दर्भ में ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. संयुक्त संचालक (बजट) संचालनालयीन म.प्र. भोपाल ।
4. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग म.प्र. ।
5. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला म.प्र. ।
6. सहायक संचालक आहरण/वितरण संचालनालय भोपाल ।
7. कार्यालय बीज परीक्षण प्रयोग शाला म.प्र. ।
8. संबंधित श्री _____ कृषि विकास अधिकारी द्वारा अनुक्रमांक 6 ।
9. आदेश नस्ती ।


अपर संचालक (स्था0)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र.भोपाल